आदेश की क्रम सं० तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)।

धारा–बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा–7 के तहत
दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–89 / 2020–21

रूपेश नारायण वगैरह...आवेदक

बनाम

अंचल अधिकारी, बुण्डू वगैरह...विपक्षी।

आदेश

31.10.2020

प्रस्तुत वाद में अपीलार्थी–(1) रूपेश नारायण, पे०–गोपाल कृष्ण नारायण, सा०–साईं निवास ए.बी. रोड, थड़पखना, थाना–लोअर बाजार वो (2) श्री प्रिय प्रकाश चौधरी, पे०–रामवृक्ष चौधरी, सा०–प्रकाश कुंज, चुटिया, पो+थाना–चुटिया, दोनों जिला–राँची ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–658 R27/2019-20/बुण्डू में दिनांक–04.07.2020 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्नलिखित भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।

भूमि विवरणी

मौजा	थाना	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
सिंगारीडीह	बुण्डू	75	31	42	3.51 एकड़

चौहदीः–उ०–ग्रामीण सड़क एवं प्लॉट सं०–46, द०–सीमाना मौजा भुरकुंडा,
पू०–प्लॉट नं०–42 का भाग एवं प्लॉट नं०–48, प०–ग्रामीण सड़क।

अपीलार्थी की ओर से दायर अपील आवेदन पर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। आवेदक की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता के कथनानुसार उपरोक्त भूमि को अपीलार्थियों ने विक्रेता पिंकी कुमारी पति श्री संतोष कुमार सा०–नोनहार, थाना–सूर्यपुरा, जिला–रोहतास, (बिहार) से दिनांक–03.02.2020 को निबंधित डीड संख्या–741/843 के मध्यम से नियमानुसार खरीदा है। नामांतरण आवेदन में रकवा–1.50 एकड़ है जबकि खरीदगी रकवा–3.51 एकड़ है। जिसके कारण नामांतरण वाद अस्वीकृत किया गया है। अतः इस अपील वाद को स्वीकृत कर अंचल अधिकारी, बुण्डू को उक्त भूमि का दाखिल खारिज करने का आदेश देने की कृपा की जाए।

अपीलार्थी द्वारा इस वाद में समर्पित निम्न न्यायालय के नामांतरण मुकदमा सं०–658 R27/2019-20/बुण्डू का Mutation Details (म्यूटेशन आवेदन की स्थिति) की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति का अवलोकन किया गया। जिसमें राजस्व कर्मचारी के मंतव्यानुसार आवेदित भूमि का संलग्न दस्तावेजों के साथ स्थल जाँच किया पाया कि आवेदित भूमि पिंकी कुमारी पति संतोष कुमार ने बिक्री केवाल संख्या 664/07–12–2018 के द्वारा खेसरा संख्या 42 के अन्दर से 3.51 एकड़ भूमि का क्रय किया गया था केवाला के साथ संलग्न ट्रेश नक्शा का अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि विक्रेता द्वारा उक्त भूमि का कौन सा आंशिक हिस्सा बिक्री किया गया है और नही बिक्री केवाला में उक्त क्रय की गयी भूमि के संबंध में विक्रेता द्वारा पूर्व में क्रय की गयी भूमि उल्लेख है। अतएव इसी आधार पर अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण वाद अस्वीकृत की गयी है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा उनके द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं अंचलाधिकारी, बुण्डू द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता है कि अपीलार्थी से पुनः स्वच्छ आवेदन प्राप्त कर सुनवाई करते हुए नए सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे।

निम्न न्यायालय को इस आदेश की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

ह०/- 31/10 ह०/- 31/10

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू(राँची)। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू(राँची)।